[2019] 11 एस. सी. आर 405

भारत का संघ

वी.

निसार

पल्लातुकाडविल अलीयार

(अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सीआरएल) 2019 का सं. 7016)

21 अगस्त, 2019

[उदय उमेश ललित और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे।]

विदेशी मुद्रा का संरक्षण और रोकथाम

तस्करी गतिविधि अधिनियम, 1974 - एस. 8 (ए)-सक्षम प्राधिकारी ने यू/हिरासत का आदेश पारित किया कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (1), जिसके अनुसार प्रतिवादी को हिरासत में लिया गया था-हिरासत का आदेश सलाहकार बोर्ड को भेजा गया था-सलाहकार बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में राय दी कि निरंतर हिरासत के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था

प्रत्यर्थी द्वारा यू/एस को हिरासत में लिया गया। 3 (1) कोफेपोसा का-पीड़ित, याचिकाकर्ता-भारत संघ ने इसके खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दायर की

सलाहकार मंडल की राय-आयोजितः सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई राय की प्रकृति न तो न्यायिक है और न ही अर्ध-न्यायिक; कि सलाहकार बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय को आपराधिक न्यायालय के निर्णय के रूप में मानना गलत और असुरक्षित होगा; कि सलाहकार बोर्ड नागरिक की नजरबंदी के औचित्य या वैधता के बारे में प्रश्न का परीक्षण नहीं करता है क्योंकि कानून की अदालत करेगा, लेकिन, इसका कार्य सीमित है-राय का उद्देश्य केवल लोगों की सहायता करना है।

सरकार और यह उपयुक्त सरकार पर तभी बाध्यकारी है जब वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति का पक्ष लेती है न कि जब वह उसके खिलाफ जाती है। इसके अलावा, सलाहकार बोर्ड की राय न्यायिक अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा समीक्षा या जांच का विषय नहीं हो सकती है-इस प्रकार, याचिका

सलाहकार मंडल की राय को चुनौती देना विचारणीय नहीं है।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के संदर्भ में, निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई कानून नहीं होगा।

तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करें जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड ने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह रिपोर्ट नहीं दी थी कि उसकी राय में इस तरह की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण था। यह सवाल कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, सलाहकार बोर्ड के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। अनुच्छेद के खंड (7) (सी) के संदर्भ में

22 संविधान के अनुसार सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है। [पैरा 9] [413-जी-एच; 414-ए-बी] 2. तदनुसार, संसद द्वारा अधिनियमित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 में धारा 8 में उचित प्रावधान किए गए हैं। उक्त धारा 8 की उप-धारा (बी) सलाहकार बोर्ड को संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उप-खंड (ए) के तहत रिपोर्ट बनाने में सक्षम बनाने के लिए संदर्भ की सुविधा प्रदान करती है, जबकि उक्त धारा 8 की उप-धाराएं (सी), (डी) और (ई) सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित हैं। धारा 8 की उप-धारा (ई) के संदर्भ में, सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट दो भागों में होनी चाहिए। पहला भाग सलाहकार बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन को एक रिपोर्ट के रूप में शामिल करना है जो पूरी तरह से गोपनीय है। दूसरे भाग में राय के रूप में इस तरह के मूल्यांकन का परिणाम शामिल है। यह अकेले राय का दूसरा भाग है जो नहीं है

गोपनीय। धारा 8 की उप-धारा (च) उपयुक्त को बाध्य करती है

सरकार निरोध आदेश को निरस्त करेगी और उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करेगी यदि सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में, संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। हालाँकि, यदि राय अन्यथा है और सलाहकार बोर्ड ने पाया है कि व्यक्ति को हिरासत में लेने का पर्याप्त कारण था, तो उपयुक्त सरकार निरोध आदेश की 'पुष्टि' कर सकती है और हिरासत जारी रख सकती है। इन दो संभावनाओं में से केवल बाद की स्थिति में ही उपयुक्त सरकार के लिए विकल्प उपलब्ध है। इसलिए, यदि राय यह है कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो उपयुक्त सरकार को निरोध आदेश को रद्द करना होगा और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा। [पैरा 10] [414-बी-एफ]

3. उपरोक्त निर्णयों के अनुसार सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई राय की प्रकृति न तो न्यायिक है और न ही अर्ध न्यायिक है। कि सलाहकार बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय को आपराधिक अदालत के फैसले के बराबर मानना गलत और असुरक्षित होगा; कि सलाहकार बोर्ड नागरिक की नजरबंदी के औचित्य या वैधता के बारे में सवाल का अदालत के रूप में परीक्षण नहीं करता है, लेकिन इसका कार्य सीमित है। जैसा कि भारत के अक्षय संघ बनाम में कहा गया है।

निसार पल्लातुकाडविल अलीयार

कोनाई मामले में, राय का उद्देश्य केवल सहायता करना है

सरकार और यह उपयुक्त सरकार पर केवल तभी बाध्यकारी है जब वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति का पक्ष लेती है न कि जब वह उसके खिलाफ जाती है। उक्त निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि सलाहकार बोर्ड की राय न्यायिक अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा समीक्षा या जांच का विषय नहीं हो सकती है। गोपनीयता के तत्व पर भी ध्यान दिया गया और यह देखा गया कि सलाहकार मंडल की राय का उद्देश्य कभी भी किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष गुण-दोष पर चुनौती देना नहीं है। [पैरा 15] [418-ई-जी]

धरम सिंह राठी बनाम। पंजाब राज्य और अन्य आकाशवाणी

1958 एससी 152: [1958] एस. सी. आर. 996; अक्षय कोनाई बनाम। राज्य

पश्चिम बंगाल (1973) 1 एस. सी. सी. 297; ए. के. रॉय बनाम संघ

भारत और अन्य (1982) 1 एस. सी. सी. 271: [1982] 2 एससीआर

272 ; कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड और अन्य बनाम। जाफर

इमाम और अन्य [1965] 3 एस. सी. आर. 453-इसके बाद आए।

भारत बैंक लिमिटेड, दिल्ली बनाम. भारत के कर्मचारी बैंक लिमिटेड, दिल्ली [1950] एससीआर 459; कोलंबिया

स्पोर्ट्सवियर कंपनी बनाम। आयकर निदेशक,

बैंगलोर (2012) 11 एससीसी 224 [2012] 7 एससीआर 187

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1958] एससीआर 996

पै

रा 6

पीछा किया।

(1973) 1 एससीसी 297

पै

रा 6

पीछा किया।

[1982] 2 एससीआर 272

पीछा किया।

पै

रा 6

[1965] 3 एससीआर 453

पीछा किया।

पै

रा 6

[1950] एससीआर 459

पै

रा 7

संदर्भित किया गया है

[2012] 7 एससीआर 187

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

आपराधिक अपील/मूल न्यायनिर्णयः

2019 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 7016।

सलाहकार के 22.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम, 1974 की धारा 8 (ए) के तहत 2019 के संदर्भ संख्या 81 में गठित बोर्ड।

[201

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ

एस. एल. पी (सीआरएल।) 2019 का सं. 7021, डब्ल्यू. पी. (सीआरएल।) नं. 210 और 220 का

2019

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., विक्रम चौधरी, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री बीनू टम्टा, ध्रुव टम्टा, सुश्री कानू अग्रवाल, शरत एन. नाम्बियार,

विनायक शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद, संजय अग्रवाल, आशीष बत्रा, वट्टन शर्मा, हर्षित सेठी, ऋषि सहगल, वामशी राव, केशवम चौधरी, अमित के. नैन, सार्थक सचदेव, पी. वंशी राव, अंजू। के. वर्की, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए यह याचिका राय को चुनौती देती है

2019 के संदर्भ संख्या 81 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (संक्षेप में 'कोफेपोसा अधिनियम') की धारा 8 (ए) के तहत गठित सलाहकार बोर्ड का दिनांक 22.07.2019। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के भाग-II में राय निम्नलिखित प्रभाव से थीः

" सलाहकार बोर्ड की राय है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (1974 का 55) की धारा 3 के तहत उपरोक्त नामित बंदी को निरंतर हिरासत में रखने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है।

2. वर्तमान मामले में, कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत हिरासत का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था

17.05.2019 , जिसके अनुसार प्रतिवादी को यहाँ हिरासत में लिया गया था। दस्तावेजों और आधारों को वैधानिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था।

2019 की रिट याचिका (आपराधिक) No.2843 इसके बाद प्रतिवादी द्वारा बॉम्बे में उच्च न्यायालय में कुछ आधारों पर निरोध के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा जवाब दायर किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.06.2019 के आदेश द्वारा अनुमति दी रिट याचिका में कहा गया और हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुरोध पर, उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी ताकि याचिकाकर्ता इस न्यायालय से संपर्क कर सके और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दे सके।

तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय में 2019 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) No.5459 दायर की गई थी।

भारत संघ v. निसार पल्लातुकाडविल अलीयार [उदय उमेश ललित, जे।]

(2019 के आपराधिक) No.5459 और अन्य संबंधित अपीलों में, इस न्यायालय ने उक्त अपीलों की अनुमति दी और उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.06.2019 के फैसले को दरकिनार कर दिया। 4. इस बीच, कोफेपोसा अधिनियम की धारा 8 (बी) के संदर्भ में, प्रतिवादी-निरोध का मामला, ऊपर उल्लिखित निरोध के आदेश के अनुसार, सलाहकार बोर्ड को भेजा गया था। यह एक बात है कि

अभिलिखित करें कि इस न्यायालय के दिनांक 18.07.2019 के निर्णय को संयुक्त निदेशक, वित्त मंत्रालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, भारत सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार सलाहकार बोर्ड के ध्यान में लाया गया था। 22.07.2019 पर सलाहकार बोर्ड ने पाया कि प्रतिवादी को निरंतर हिरासत में रखने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था-हिरासत में लिया गया और ऊपर बताए गए अनुसार अपनी राय दी।

5. पीड़ित याचिकाकर्ता ने परामर्श की उपरोक्त राय के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए वर्तमान याचिका दायर की है

बोर्ड। 08.08.2019 पर इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" इस विशेष अनुमति याचिका में, भारत संघ ने दिनांकित 22.07.2019 सलाहकार बोर्ड की राय को चुनौती दी है।

2019 की आपराधिक अपील No.1064 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न) में प्रतिवादी के खिलाफ पारित निरोध आदेश के संबंध में। नहीं। 5459 2019 का), हमने अपने विचार व्यक्त करते हुए 18.07.2019 पर निर्णय पारित किया है। चूँकि हम पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, हमारा विचार है कि मामले को माननीय से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद किसी अन्य पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के अधीन, मामले को किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष तदनुसार सूचीबद्ध करें।

बेंच "।

तदनुसार याचिका 16.08.2019 पर हमारे सामने पोस्ट की गई थी। चूंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे शामिल थे, इसलिए मामले की सुनवाई अंततः हुई, जिसके अंत में खुली अदालत में एक आदेश दिया गया। सलाहकार बोर्ड की राय के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया। आदेश के सक्रिय भाग के समर्थन में निम्नलिखित कारण हैं।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. शुरुआत में, प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने विशेष अनुमति के लिए वर्तमान याचिका की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति जताई थी। अपील करें। यह प्रस्तुत किया गया था कि कोफेपोसा अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (सी) के तहत सलाहकार बोर्ड को अपनी रिपोर्ट निर्दिष्ट करते हुए तैयार करनी होती है

उक्त रिपोर्ट के एक अलग पैराग्राफ में इसकी राय है कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में रखने का पर्याप्त कारण है या नहीं; कि रिपोर्ट के उस हिस्से को छोड़कर जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय निर्दिष्ट की गई है, बाकी रिपोर्ट गोपनीय है; और यह कि धारा 8 की उप-धारा (च) के संदर्भ में, यदि सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है,

उपयुक्त सरकार निरोध के आदेश को निरस्त करने और व्यक्ति को तुरंत रिहा करने के लिए बाध्य है। यह प्रस्तुत किया गया था कि सलाहकार बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में जो तर्क दिया है, वह गैर-न्यायोचित होगा और केवल राय अदालत में किसी भी चुनौती का विषय नहीं हो सकती है और अनुच्छेद 136 (1) के तहत एक याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने धरम सिंह राठी बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया।

पंजाब और अन्य, अक्षय कोनाई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए. के. रॉय बनाम भारत संघ और अन्य 3 और कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड और अन्य बनाम जाफर इमाम और अन्य।

7. दूसरी ओर, श्री के. एम. नटराज, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि यदि सलाहकार बोर्ड की राय होनी थी

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ, सलाहकार मंडल की राय और/या रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है और उस हद तक राय गैर-न्यायसंगत होगी। हालाँकि, उनके प्रस्तुतिकरण में, यदि सलाहकार बोर्ड की राय इस प्रभाव से थी कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो चुनौती अभी भी उपयुक्त सरकार और सलाहकार बोर्ड की क्षमता के लिए उपलब्ध थी, जबकि ऐसी राय एक न्यायाधिकरण की होगी और इसलिए राय एक चुनौती का विषय हो सकती है। उन्होंने भारत बैंक लिमिटेड, दिल्ली बनाम भारत बैंक लिमिटेड, दिल्ली के कर्मचारी और कोलंबिया स्पोर्ट्सवियर कंपनी बनाम आयकर निदेशक, बैंगलोर में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया।

3 (1982) 1 एस. सी. सी. 271 4 (1965) 3 एस. सी. आर. 453 = ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 282 5 1950 एस. सी. आर. 459 = ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 188

6 (2012) 11 एस. सी. सी. 224 एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया बनाम

निसार पल्लातुकाडविल अलीयार [उदय उमेश ललित, जे।]

8. कोफेपोसा अधिनियम की धारा 8 इस प्रकार हैः

संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट योग्यताएँ रखने वाले; (ख) धारा 9 में अन्यथा उपबंधित किए बिना, उपयुक्त सरकार निरोध आदेश के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने की तारीख से पांच सप्ताह के भीतर उसके संबंध में खंड (क) के तहत गठित सलाहकार बोर्ड को निर्देश देगी ताकि सलाहकार बोर्ड संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उपखंड (क) के तहत रिपोर्ट तैयार कर सके।

(ख) संदर्भ और उसके समक्ष रखी गई सामग्रियों पर विचार करने के बाद और ऐसी आगे की जानकारी के लिए बुलाने के बाद जो वह कर सके। उपयुक्त सरकार या उपयुक्त सरकार के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए किसी भी व्यक्ति से आवश्यक समझता है।

या संबंधित व्यक्ति से, और यदि, किसी विशेष मामले में, ऐसा करना आवश्यक समझता है या यदि संबंधित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद, एक अलग पैराग्राफ में अपनी राय निर्दिष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करें कि क्या संबंधित व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं और संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने की तारीख से ग्यारह सप्ताह के भीतर उसे प्रस्तुत करें;

(ङ) एक व्यक्ति जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत निरोध का आदेश दिया गया है, वह किसी भी कानूनी पक्ष द्वारा उपस्थित होने का हकदार नहीं होगा। के संदर्भ से जुड़े किसी भी मामले में व्यवसायी

सलाहकार बोर्ड, और सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, रिपोर्ट के उस हिस्से को छोड़कर जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय निर्दिष्ट की गई है, गोपनीय होगी; [2019] 11 एस. सी. आर.

(च) प्रत्येक मामले में जहां सलाहकार बोर्ड ने सूचित किया है कि

उसकी राय में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण है, उपयुक्त सरकार निरोध आदेश की पुष्टि कर सकती है और

संबंधित व्यक्ति को उस अवधि के लिए हिरासत में रखना जारी रखें जो वह उचित समझता है और हर मामले में जहां सलाहकार बोर्ड के पास है।

बताया कि इसकी राय में कोई पर्याप्त कारण नहीं है

संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेना, उपयुक्त सरकार

निरोध आदेश को रद्द कर देगा और व्यक्ति को

तुरंत रिहा कर दिया गया। "

यह धारा संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उपखंड (ए) के उपखंड (सी) के उपखंड (सी) और उप-धारा (बी) के उपबंधों को संदर्भित करती है ताकि सलाहकार डी को एक संदर्भ दिया जाए ताकि बोर्ड संविधान के अनुच्छेद 22 के उपखंड (ए) के उपखंड (ए) के तहत एक रिपोर्ट बनाने में सक्षम हो सके। अनुच्छेद 22 का पाठ मई,

इस स्तर पर विचार किया जाना चाहिए:

" 22. कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण मामले। (1) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को इस तरह की गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे परामर्श करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

अपनी पसंद के एक कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव किया गया।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है

बीस की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया

इस तरह की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चार घंटे

गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से आगे हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

(3) खंड (1) और (2) में कुछ भी लागू नहीं होगा -

(क) किसी भी व्यक्ति के लिए जो कुछ समय के लिए एक दुश्मन विदेशी है; या (ख) किसी भी व्यक्ति को जो किसी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है।

निवारक निरोध का प्रावधान।

(4) निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून अधिकृत नहीं करेगा

तीन महीने से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना

जब तक कि

(क) एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं या रहे हैं।

निसार पल्लातुकाडविल अलीयार [उदय उमेश ललित, जे।]

न्यायालय ने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले सूचित किया है कि उसकी राय में इसके लिए पर्याप्त कारण है -

इस तरह की नजरबंदीः

बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात खंड (7) के उपखंड (बी) के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगी; या (ख) ऐसे व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (क) और (ख) के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जाता है।

(5) जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो प्राधिकरण आदेश देने वाला, जितनी जल्दी हो सके, ऐसे व्यक्ति को उन आधारों से अवगत कराएगा जिनके आधार पर आदेश दिया गया है और

उसे प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर दें।

आदेश के खिलाफ।

ऐसा आदेश जो उस खंड में उन तथ्यों को प्रकट करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें ऐसा प्राधिकारी प्रकट करना लोक हित के खिलाफ समझता है। (7) संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है

(क) वे परिस्थितियाँ जिनके तहत, और मामलों के वर्ग या वर्ग जिनमें, किसी व्यक्ति को निवारक का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।

सलाहकार मंडल की राय प्राप्त किए बिना हिरासत में लेना खंड के उपखंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार

(ख) अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ग या मामलों के वर्गों में किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। निवारक निरोध; और

(ग) खंड (4) के उपखंड (क) के तहत जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

9. संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के संदर्भ में, निवारक निरोध के लिए कोई भी कानून तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने को अधिकृत नहीं करेगा, जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड उक्त तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले सूचित नहीं करता है जो [2019] एस. सी. आर.

10. तदनुसार, संसद द्वारा अधिनियमित कोफेपोसा अधिनियम में धारा 8 में उचित प्रावधान किए गए हैं। उक्त की उप-धारा (बी) धारा 8 सलाहकार बोर्ड को संदर्भित करने की सुविधा प्रदान करती है ताकि इसे सक्षम किया जा सके

संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उपखंड (ए) के तहत रिपोर्ट बनाना जबकि उक्त धारा 8 की उप-धारा (सी), (डी) और (ई) सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। संदर्भ में

धारा 8 की उप-धारा (ई) के अनुसार सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट दो भागों में होनी चाहिए। पहला भाग सलाहकार बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन को एक रिपोर्ट के रूप में शामिल करना है जो पूरी तरह से गोपनीय है। दूसरे भाग में राय के रूप में इस तरह के मूल्यांकन का परिणाम शामिल है। यह अकेले राय का दूसरा भाग है जो गोपनीय नहीं है। धारा 8 की उप-धारा (च) उपयुक्त सरकार को निरस्त करने के लिए बाध्य करती है। निरोध आदेश और व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का कारण

मामले में सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में, संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। हालाँकि, यदि राय अन्यथा है और सलाहकार बोर्ड ने पाया है कि व्यक्ति को हिरासत में लेने का पर्याप्त कारण था, तो उचित

सरकार निरोध आदेश की 'पुष्टि' कर सकती है और निरोध जारी रख सकती है। उपयुक्त सरकार के लिए विकल्प केवल बाद वाले में उपलब्ध है। इन दो संभावनाओं में से। इसलिए, यदि राय यह है कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो उपयुक्त सरकार को निरोध आदेश को रद्द करना होगा और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा।

11. धरम सिंह राठी 'इस न्यायालय की संविधान पीठ का एक निर्णय था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सलाहकार बोर्ड ने निर्धारित अवधि के भीतर कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। उस ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन इस प्रकार थाः

" 3. .... अधिनियम की धारा 10 के तहत बोर्ड के पास नजरबंदी जारी रखने या बंद करने का कोई आदेश देने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन केवल राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य है। इस संदर्भ में, इसलिए, पैरा 10 (xii) का एक सादा पाठ इंगित करता है कि याचिकाकर्ता की शिकायत, सार में, यह है कि भारत का बोर्ड संघ v.

निसार पल्लातुकाडविल अलीयार [उदय उमेश ललित, जे।]

निर्धारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और यह कि,

इसलिए उनकी नजरबंदी अवैध हो गई है। .....

99

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था

निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 10 में याचिका की अनुमति दी गई थी और बंदी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया था। श्री रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने हालांकि उस सजा पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि सलाहकार बोर्ड के पास नजरबंदी को जारी रखने या बंद करने का कोई आदेश देने की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन इसका कर्तव्य केवल राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

12. अक्षोय कोनाई 2 में की ओर से प्रस्तुतिकरण उठाया गया

नज़रबंदी यह थी कि सलाहकार मंडल का निर्णय कभी नहीं था

उसे सूचित किया। आगे निवेदन यह था कि सलाहकार मंडल की राय को बंदी को सूचित किया जाना चाहिए था ताकि वह उक्त राय की वैधता पर सवाल उठा सके। इन दलीलों को इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार खारिज कर दिया थाः

" 4. याचिकाकर्ता की नजरबंदी के खिलाफ पहली आपत्ति

श्री बी. दत्ता, न्यायमित्र के रूप में उपस्थित विद्वान वकील रिट याचिका का समर्थन यह है कि हालांकि याचिकाकर्ता था

सलाहकार बोर्ड द्वारा बोर्ड के निर्णय को व्यक्तिगत रूप से सुना गया

उनसे कभी संपर्क नहीं किया गया। इस चूक के अनुसार

इस राय की किसी भी न्यायिक द्वारा जांच कराने के लिए कोई भी कदम उठाना। न्यायाधिकरण। हमारी राय में इस निवेदन को स्वीकार करना मुश्किल है। के तहत

अधिनियम की धारा 11 सलाहकार बोर्ड को केवल प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

उपयुक्त सरकार को उसकी रिपोर्ट। कोई बाध्यता नहीं है बोर्ड पर अपने निर्णय को सूचित करने के लिए अधिनियम द्वारा लगाया गया

बंदी को। केवल यह तथ्य कि धारा 11 के तहत बोर्ड सुनवाई करता है निरोध आदेश से प्रभावित व्यक्ति यदि वह चाहता है

इस प्रकार सुना जाए, केवल इसी कारण से बोर्ड पर लागू नहीं किया जाएगा

बंदी को अपने निर्णय के बारे में सूचित करने का कानूनी दायित्व। हमारा

कानून के किसी भी प्रावधान या किसी पर ध्यान नहीं दिया गया है

मूल्य सिद्धांत जो ऐसे किसी भी दायित्व को दर्शाता है। किसी भी सूरत में

सलाहकार बोर्ड की ओर से ऐसा करने में चूक नहीं की जा सकती है

याचिकाकर्ता की नजरबंदी को अमान्य करें। ....

याचिकाकर्ता को अपनी राय सूचित की ताकि वह सक्षम हो सके इसकी वैधता पर सवाल उठाना भी गलत है। पहली बार में [2019] 11 एस. सी. आर.

अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित सलाहकार बोर्ड, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, केवल एक सलाहकार क्षमता में कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसकी राय जो केवल एक सलाह है, उपयुक्त सरकार के लिए तभी बाध्यकारी है जब उसके अनुसार विचाराधीन निरोध के लिए कोई पर्याप्त कारण न होः उस स्थिति में बंदी को संभवतः कोई शिकायत नहीं हो सकती है। जब बोर्ड रिपोर्ट करता है कि विचाराधीन निरोध के लिए पर्याप्त कारण है तो उपयुक्त

सरकार कानून के तहत हिरासत के आदेश की पुष्टि करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। बोर्ड की सलाहकार राय का उद्देश्य केवल निरोध आदेश की पुष्टि करने के प्रश्न का निर्धारण करने में उपयुक्त सरकार की सहायता करना है और

नजरबंदी जारी रखें। यह उपयुक्त पर बाध्यकारी है सरकार केवल तभी चलती है जब वह बंदी का पक्ष लेती है न कि तब जब वह उसके खिलाफ जाती है। इस तरह की सलाहकार राय शायद ही एक उपयुक्त विषय हो सकती है-न्यायिक अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा समीक्षा या जांच का विषय। दूसरा, बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 11 (4) द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है -

रिपोर्ट के उस हिस्से को छोड़कर जिसे उसकी राय निर्दिष्ट की गई है, गोपनीय है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सलाहकार राय कभी भी किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष गुण-दोष पर चुनौती देने के लिए खुली नहीं होती है। जहां तक बोर्ड की अंतिम राय का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा निरोध आदेश की पुष्टि के संचार ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि राय

बोर्ड के सदस्य उनके खिलाफ थे।

13. ए. के. रॉय 3 भी न्यायालय की संविधान पीठ का एक निर्णय था। यह पैरा 98 में निम्नानुसार देखा गया थाः

98. .... सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही में, बोर्ड के विचार के लिए सवाल यह नहीं है कि क्या बंदी किसी आरोप का दोषी है, बल्कि यह है कि क्या संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का पर्याप्त कारण है। नजरबंदी, यह याद रखना चाहिए, परीक्षण को लागू करके साबित किए गए तथ्यों पर आधारित नहीं है

संभावनाओं की प्रधानता या उचित संदेह। द. निरोध निरोध प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित है कि किसी विशेष व्यक्ति को कुछ उल्लिखित उद्देश्यों के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक है। इसलिए सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही को न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों की कार्यवाही से अलग तरीके से संरचित किया जाना चाहिए, जिसके समक्ष निर्णय लेने के लिए एक सूची होती है।

14. कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड में सवाल यह था कि क्या पुनरीक्षण निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 3 (1) (ए) (ii) के तहत निरोध के आदेश का सामना करना पड़ा है, संबंधित व्यक्ति की सेवाएं।मुझे नियोक्ता द्वारा केवल इस आधार पर समाप्त किया जाता है कि वहाँ निरोध का आदेश है। उस संदर्भ में न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः

संविधान की स्थापना की गई है। जब किसी नागरिक को हिरासत में लिया जाता है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है उसके खिलाफ पारित निरोध के आदेश को चुनौती देने में सफल हो जाता है, जब तक कि वह अधिनियम के तहत अनुमेय आधार प्रस्तुत करने में सक्षम न हो। लेकिन हम श्री सेन के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि ऐसे नागरिक के नजरबंदी से रिहा होने के बाद, अपीलार्थी की तरह एक नियोक्ता तुरंत उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है और उसे बता सकता है कि उसे पूर्वाग्रह के लिए हिरासत में लिया गया था

ऐसी गतिविधियाँ जो कदाचार के बराबर हैं और सलाहकार बोर्ड के परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा निरोध आदेश की पुष्टि की गई थी, और इसलिए, वह अपने पद से बर्खास्त होने के लिए उत्तरदायी है।

उसके सामने रखी गई प्रासंगिक सामग्री और प्रतिनिधित्व बंदी से प्राप्त, और फिर अधिनियम की धारा 10 (1) द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह विवादित नहीं है कि सलाहकार मंडल साक्ष्य पर विचार करता है

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ, जिसका सामान्य तरीके से प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है; इसका निर्णय अनिवार्य रूप से न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निर्णय से अलग है। कुछ मामलों में,

एक बंदी को सुनवाई दी जा सकती है; लेकिन इस तरह की सुनवाई अक्सर होती है, अगर [2019] 11 एस. सी. आर.

हमेशा नहीं, अप्रभावी होने की संभावना है, क्योंकि बंदी को उन सबूतों की जांच करने के अवसर से वंचित किया जाता है जिन पर हिरासत में लिए गए अधिकारी भरोसा करते हैं और हो सकता है कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष सबूत पेश करने में सक्षम न हो। जांच की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसे सलाहकार बोर्ड अपनी बात व्यक्त करने से पहले करने के लिए अधिकृत या अनुमत है।

हम समझते हैं कि किसी बंदी को हिरासत में लेने की मंजूरी, सलाहकार बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय को आपराधिक अदालत के फैसले के बराबर मानना पूरी तरह से गलत और पूरी तरह से असुरक्षित होगा। मुख्य दुर्बलता जिसने विवादित आदेशों को दूषित कर दिया है, इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि उक्त आदेश एक बंदी को हिरासत में रखने के बराबर है।

आपराधिक अदालत द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने के साथ। अतः हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपील न्यायालय का यह विचार सही था कि

प्रत्यर्थियों के लिए यह संदेह पर कार्रवाई करने के लिए अपीलकर्ता के लिए खुला नहीं था, और चूंकि अपीलार्थी का निर्णय स्पष्ट रूप से निरोध आदेशों पर आधारित है और कुछ और नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सार में, उक्त निष्कर्ष संदेह पर आधारित है और कुछ भी नहीं। अधिक "।

15. उपरोक्त निर्णयों के अनुसार सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई राय की प्रकृति न तो न्यायिक है और न ही अर्ध न्यायिक है; कि सलाहकार बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय को आपराधिक अदालत के फैसले के रूप में मानना गलत और असुरक्षित होगा; कि सलाहकार बोर्ड नागरिक की नजरबंदी के औचित्य या वैधता के बारे में सवाल का अदालत के रूप में परीक्षण नहीं करता है, लेकिन इसका कार्य सीमित है। जैसा कि अक्षय कोनाई 2 में कहा गया है, राय का उद्देश्य केवल सरकार की सहायता करना है और यह उपयुक्त सरकार के लिए बाध्यकारी है। केवल तभी जब यह बंदी का पक्ष लेता है और तब नहीं जब यह उसके खिलाफ जाता है। उक्त निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि सलाहकार बोर्ड की राय न्यायिक अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा समीक्षा या जांच का विषय नहीं हो सकती है। गोपनीयता के तत्व पर भी ध्यान दिया गया और यह देखा गया कि सलाहकार मंडल की राय का उद्देश्य कभी भी किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष गुण-दोष पर चुनौती देना नहीं है।

16. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे निवारक निरोध के अलावा अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। भारत में

बैंक Ltd.5 मुद्दा यह था कि क्या एक औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय भारत के एन. आई. ओ. एन. के अनुच्छेद 136 (1) के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

निसार पल्लातुकाडविल अलीयार [उदय उमेश ललित, जे।]संविधान। एस. फजल अली, जे. की राय पर विद्वान अतिरिक्त इटोर जनरल द्वारा निर्भरता निम्नानुसार रखी गई थीः

" इस मामले में निर्णय लिया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान अपील इस न्यायालय में निहित है। सवाल कठिनाई से मुक्त नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूं कि अपील झूठ बोलती है। यह पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है कि अनुच्छेद 136 का दायरा

संविधान का महत्व बहुत व्यापक है, लेकिन खंड में उपयोग की जाने वाली भाषा की सराहना केवल उससे पहले के लेखों से तुलना करके की जा सकती है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है, जिन मामलों में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

संविधान और उस अनुच्छेद में उपयोग किए गए शब्द हैंः " अपील. किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से "। अनुच्छेद 133 से संबंधित है -

6. तो क्या हम यह कह सकते हैं कि एक औद्योगिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 136 के दायरे में नहीं आता है? यदि हम केवल एक लेबल पर चलते हैं, तो जवाब सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन हमें आगे देखना होगा और देखना होगा कि न्यायाधिकरण के मुख्य कार्य क्या हैं और यह कैसे आगे बढ़ता है उन कार्यों को करने के लिए। यह आवश्यक है क्योंकि मेरा मानना है कि यह निहित है कि किसी न्यायाधिकरण से इस न्यायालय में अपील करने से पहले उसे किसी प्रकार का न्यायिक कार्य करना चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए।

किसी न्यायालय के चरित्र की कुछ सीमा तक। 7. अब इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने एक सर्वविदित अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए कहा है कि "अदालत के सभी पहलू" और ऐसे कार्य करता है जिन्हें न्यायिक माना जा सकता है।

यह उन नियमों से स्पष्ट है जिनके द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को विनियमित किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उससे पहले की कार्यवाही एक ऐसे आवेदन पर शुरू होती है जो कई मायनों में

अभियोग की प्रकृति। इसके पास वही शक्तियाँ हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक दीवानी अदालत में निहित हैं जब एक मुकदमे की सुनवाई करते समय, खोज, निरीक्षण, स्थगन प्रदान करने, हलफनामे पर लिए गए साक्ष्य को स्वीकार करने, की उपस्थिति को लागू करने के संबंध में

गवाह, दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर करना, जारी करना

आयोग आदि। इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 और 482 के अर्थ के भीतर एक दीवानी न्यायालय माना जाना है। यह कार्यवाही के किसी भी चरण में स्वीकार कर सकता है और साक्ष्य की मांग कर सकता है और उसे शपथ दिलाने की शक्ति है। पार्टियां

उसके सामने उपस्थित होना परीक्षा का अधिकार है, क्रॉस जाँच और पुनः जाँच और सभी सबूतों के बाद इसे संबोधित करने के लिए कहा गया है। एक पार्टी का प्रतिनिधित्व भी किया जा सकता है

उसकी अनुमति के साथ कानूनी व्यवसायी।

8. मामला यहीं नहीं रुका है। इस न्यायाधिकरण का मुख्य कार्य औद्योगिक विवादों पर निर्णय लेना है जिसका तात्पर्य है कि इसके समक्ष दो या दो से अधिक पक्ष परस्पर विरोधी मामलों के साथ होने चाहिए, और यह भी कि इसे इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि विवाद को कैसे समाप्त किया जाना है। इसलिए, प्रथम दृष्टया, इस तरह के न्यायाधिकरण को अनुच्छेद 136 के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस विषय पर कोई अंतिम निष्कर्ष व्यक्त करने से पहले कुछ दलीलों का निपटारा करना होगा जो प्रतिवादियों की ओर से सामने रखी गई हैं।

17. इसी तरह, कोलंबिया शपथ कंपनी में निर्णय पर भी निर्भरता रखी गई थी। उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (आयकर) द्वारा घोषित अग्रिम जी

आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XIX-B के तहत न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत निहित किया जा सकता है। एन. सी. ई. को विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा पैरा पर रखा गया था

निर्णय, जो निम्नलिखित प्रभाव का थाः

" जैसा कि धारा 245-एस स्पष्ट रूप से लेनदेन के संबंध में आवेदक पर और आयुक्त और उसके अधीनस्थ आयकर अधिकारियों पर अग्रिम निर्णय को बाध्यकारी बनाती है, प्राधिकरण न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाला एक निकाय है। एच. एम. सीरवई अपनी पुस्तक में

भारत का संवैधानिक कानून (चौथा संस्करण) परीक्षणों पर चर्चा करते हुए भारत का संघ v.

निसार पल्लातुकाडविल अलीयार [उदय उमेश ललित, जे।]

पैरा 16.99 में न्यायिक कार्यों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित उद्धरण दिए गए हैं:

प्रो. पी पर डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा। 1502 :

" एक प्राधिकरण न्यायिक क्षमता में कार्य करता है जब, जांच और विचार-विमर्श के बाद, यह एक कार्य करता है या एक निर्णय लेता है जो बाध्यकारी और निर्णायक है और व्यक्तियों के अधिकारों पर दायित्व लगाता है या उन्हें प्रभावित करता है।

इसलिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण अधिनियम के अध्याय XIX-B द्वारा प्रदत्त न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाला एक निकाय है और अधिनियम में अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक न्यायाधिकरण है। संविधान के अनुच्छेद 136 और 227 "।

18. ये दोनों निर्णय जिन पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा भरोसा किया गया था, पूरी तरह से अलग संदर्भ में थे। यह अच्छी तरह से तय है कि जहां भी कोई निकाय न्यायिक/अर्ध न्यायिक कार्य कर रहा है

शक्ति और संविधान के अनुच्छेद 136 और 227 में अभिव्यक्तियों के अर्थ के भीतर एक न्यायाधिकरण है, इस प्रकार दिए गए निर्णय चुनौती के लिए उत्तरदायी हैं।

19. लेकिन वर्तमान मामले में मूल मुद्दा सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति है जब उसके द्वारा कोई राय दी जाती है।

कोफेपोसा अधिनियम की धारा 8 (बी) के तहत इसे दिए गए संदर्भ के लिए। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट, उसकी राय को छोड़कर, पूरी तरह से गोपनीय है और सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट और राय देने में इस तरह से प्रयोग की गई शक्ति की प्रकृति, इस न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट मामलों में पहले ही घोषित की जा चुकी है। धरम सिंह राठी ', अक्षय कोनाई 2, ए. के. रॉय 3 और कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड।

हम इन निर्णयों का पालन करते हैं और वर्तमान याचिका का अनुरोध करते हैं

सलाहकार बोर्ड की दिनांकित 22.07.2019 राय को बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में चुनौती दें।

20. इसलिए, अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका है -

बर्खास्त कर दिया।

21. जैसा कि ऊपर कहा गया है, सलाहकार बोर्ड की राय और 2019 की अपील (आपराधिक) संख्या 7016 के लिए विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के मद्देनजर, 2019 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 220 में कोई आदेश नहीं मांगा गया है, जैसा कि कहा गया है, रिट याचिका रिट, आदेश या निर्देश के लिए प्रार्थना करती है जो उपरोक्त प्रतिवादी-निरोध के खिलाफ पारित दिनांक 17.05.2019 के निरोध के आदेश को रद्द करने और रद्द करने के लिए है। रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. ऊपर बताए गए कारणों से, याचिकाकर्ता द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (आपराधिक) 2019 की संख्या 7021 के खिलाफ याचिका दायर की गई।

'हैप्पी अरविंद कुमार धाकड़' नामक बंदी के संबंध में 2019 के संदर्भ संख्या 87 में सलाहकार बोर्ड द्वारा पारित राय भी बनाए रखने योग्य नहीं पाई गई है। इसलिए, अपील करने के लिए विशेष अनुमति की याचिका खारिज कर दी जाती है।

23. 2019 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 210 ने अन्य बातों के साथ-साथ रिट आदेश या दिनांकित निरोध के आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। 17.05.2019 उपरोक्त बंदी 'हैप्पी अरविंद कुमार धाकड़' के खिलाफ पारित किया गया। एक बार फिर, 2019 के संदर्भ में सलाहकार बोर्ड की राय और 2019 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 7021 को खारिज करने के लिए कोई अलग आदेश नहीं मांगा गया है। इसलिए इस रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाता है।

मामलों का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान